

71

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (इंदौर केम्प) म. प्र

राजस्व रिविजन क्रमांक :- ~~11/12/2018~~ 3412/2018/खंडवा/भू.र

प्रस्तुत दिनांक :- 20/4/2018



- 01- मनीष पिता सत्यनारायण आयु 45 साल
- 02- मनोज पिता सत्यनारायण आयु 40 साल

सभी निवासी गणेश तलाई गौशाला के पास खंडवा

तहसील खंडवा जिला खंडवा म. प्र

कार्यालय
14-5-18 को प्रस्तुत
B
145

विरुद्ध

- 01- सचिन पिता करण कुर्मी आयु 30 साल
- 02- सुजित पिता करण कुर्मी आयु 28 साल
- 03- संजय पिता करण कुर्मी आयु 25 साल

-अपीलार्थीगण

कार्यालय श्रीमान राजस्व मंडल इंदौर
श्री 3412/2018/खंडवा/भू.र
प्रार्थी/2
को प्रस्तुत।
दिनांक 20-04-2018
415
20-04-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

सभी निवासी गणेश तलाई गौशाला के पास तहसील

खंडवा जिला खंडवा म. प्र

-प्रतिअपीलार्थीगण

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता

यह कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खंडवा न्यायालय मे प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील क्रमांक 0011/2017-18 (सचिन एवं अन्य विरुद्ध मनीष एवं अन्य) मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12/03/2018 से पीडित एवं दुखी होकर श्रीमान के समक्ष रिविजन प्रस्तुत करते है।



-: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि प्रतिअपीलार्थीगण के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय खंडवा द्वारा निर्णित राजस्व प्रकरण 6/6-अ/2011-12 (मनीष एवं अन्य विरुद्ध सचिन एवं अन्य) मे पारित आदेश दिनांक 07/09/2016 के विरुद्ध पुर्नविलोकन याचिका अवधि बाधित प्रस्तुत की गयी थी, उक्त पुर्नविलोकन याचिका जिसे तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3412/2018/खण्डवा/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मोहम्मद साबिर उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । निवेदन स्वीकार । आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p> मेबर</p>	<p> अध्यक्ष</p>